बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना हेतु स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं से ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति हेतु सूचना

उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने एवं छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत राज्य के अंगीभूत एवं सरकार से मान्यता प्राप्त संबद्ध महाविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण सभी कोटि के छात्राओं को प्रोत्साहन भत्ता के रूप में एकमुश्त रूपया 25000/-(पच्चीस हजार) मात्र दिया जाना है। यह राशि सीधे लाभुक के खाते में अंतरित की जायेगी। इस योजना का लाभ स्नातक उत्तीर्ण उन्हीं छात्राओं को देय होगा, जो निम्न शर्त्तों को पूरी करती हों :–

क) बिहार के निवासी हो,

ख) राज्य के अंदर अवस्थित अंगीभूत अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से दिनांक 25.04.2018 के बाद स्नातक अथवा स्नातक समकक्ष का डिग्री प्राप्त किया हो,

(सामान्य, तकनीकी,व्यवसायिक पाठ्यक्रम में)

2. राज्य के अंगीभूत एवं मान्यता प्राप्त संबद्ध महाविद्यालयों (खुला विश्वविद्यालय सहित) से दिनांक 25.04.2018 के उपरांत स्नातक अथवा स्नातक समकक्ष (आलिम, शास्त्री सहित) उत्तीर्णता प्राप्त छात्राओं से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है।
3. स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को इस विज्ञापन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे ऑनलाईन पोर्टल एवं मोबाईल एप्प से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाईन पोर्टल का पता **ekalyan.bih.nic.in** है। मोबाईल एप्प को गुगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। मोबाईल एप्प का नाम **MKUY (SNATAK)** है। ऑनलाईन आवेदन करते समय लाभार्थी ऑनलाईन निर्देशों का पालन करें। आवेदन स्वीकृत होने पर लाभुक को मोबाईल पर सूचना प्राप्त होगी, तत्पश्चात विश्वविद्यालय से जाँचोंपरांत विभाग के स्तर से राशि लाभुक के खाता में अंतरित करने की कार्रवाई की जायेगी। योजना का लाभ प्राप्ति हेतु लाभुक का खाता राष्ट्रीयकृत बैंक, मान्यता प्राप्त निजी बैंक अथवा इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक का खाता बिहार में अवस्थित किसी शाखा में हो।
4. नव स्थापित विश्वविद्यालयों (पाटलिपुत्र, मुंगेर, पूर्णियां) से संबंधित महाविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्राओं से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन का निष्पादन उनके पैत्रिक विश्वविद्यालय से किया जायेगा।
5. योजना से संबंधित विस्तृत निर्देश विभागीय वेवसाईट **Educationbihar.gov.in** पर देखा जा सकता है। किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु हेल्पडेस्क नं0–06122230059 एवं मोबाईल संख्या–7991188031 पर संपर्क किया जा सकता है। तकनीकी सहायता के लिए मोबाईल नं0– 8292825106,7004360147,**8986294256** एवं ईमेल **dbtbiharapp@gmail.com** पर सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

PR.004489 (Education) 2019-20

निदेशक, उच्च शिक्षा

आओ मिलकर बढ़ाएँ कदम, दहेज न लेंगे, ठान लें हम।

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

आम सूचना

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका (इन्टरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वर्ष 2019 की वार्षिक इन्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं से ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति हेतु सूचना

उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने एवं छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका (इन्टरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वर्श 2019 की वार्षिक इन्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण सभी कोटि की अविवाहित छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में एकमुश्त ₹10,000/– (दस हजार) मात्र दिया जाना है। यह राशि सीधे पात्र लाभुकों के खाते में अन्तरित की जायेगी।

2. पात्र लाभुकों को ऑनलाईन प्रोत्साहन की राशि उनके खाते में अन्तरित करने हेतु NIC द्वारा एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। जिसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्श 2019 में इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण सभी कोटि की अविवाहित छात्राओं का जिलावार एवं संस्थानवार विवरण अंकित है।

3. सभी पात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वे NIC के द्वारा विकसित ऑनलाईन पोर्टल को खोलकर अपने से संबंधित सभी सूचनाओं की जाँच कर लें कि अंकित सूचनाऐं सही हैं अथवा नहीं। इसके अलावा उक्त पोर्टल में Login करने के पश्चात् रिक्त कॉलम में वांछित सूचनाओं यथा अपना बैंक खाता नं0, बैंक शाखा का नाम, आई0एफ0एस0सी0 कोड, तथा अविवाहित होने संबंधी सूचना आदि को अंकित किया जाना है।

4. ध्यान रहे कि बैंक खाता पात्र छात्रा के अपने नाम से खुला होना चाहिए एवं यह खाता राश्ट्रीयकृत बैंक, मान्यता प्राप्त निजी बैंक अथवा इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक का खाता बिहार में अवस्थित किसी शाखा में हो।

5. सभी वांछित सूचनाऐं NIC के ऑनलाईन पोर्टल www.ekalyan.bih.nic.in/edubihar.aspx को खोलकर इंटरनेट के माध्यम से अंकित की जा सकती है। इस पोर्टल को Login करने के लिए छात्रा/लाभुक के पास अपना इन्टमीडिएट का पंजीयन संख्या के साथ जन्मतिथि अथवा इन्टरमीडिएट परीक्षा 2019 के कुल प्राप्तांक की आवश्यकता पड़ेगी।

6. किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु हेल्पडेस्क नं0– 06122215323 पर सम्पर्क किया जा सकता है। तकनीकी सहायता के लिए मोबाईल नं0–8292825106, 7004360147, **8986294256** एवं ई0मेल– mkuy.nic@gmail.com पर सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

निदेशक (मा0 शि0)
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

PR No. 004437(Education) 2019-20

अवैध शराब एवं मादक द्रव्य के संबंध में शिकायत टॉल फ्री नं. 18003456268 या 15545 पर करें

Bihar Mukhyamantri Kanya Uttan Yojana Registration Form – Graduation

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (स्नातक) के लिए विद्यार्थियों को केवल ऑनलाइन आवेदन ही देना है। आवेदक का आवेदन महाविद्यालय के माध्यम से स्वीकृत नहीं किया जायेगा। विद्यार्थियों को महाविद्यालय में किसी डॉक्यूमेंट या आवेदन देने की जरूरत नहीं है।

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना : - मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना में आवेदन भरने से पहले महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. आवेदन करने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है।
2. फॉर्म भरने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है।
3. लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें।
4. अगर आपके महाविद्यालय का नाम सुची में नहीं है तो आप अपने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से संपर्क करके उसका नाम जोड़ने का आग्रह कर सकते है।
5. एक विद्यार्थी के द्वारा केवल एक आवेदन ही भरा जाएगा।
6. आवेदन भरने के लिए जरुरी दस्तावेज।
    a. फोटो का आकार 50 केबी से कम होना चाहिए। (निर्धारित आकार: 200 x 230 px)
    b. हस्ताक्षर का आकार 20 केबी से कम होना चाहिए। (निर्धारित आकार: 140 x 60 px)
    c. विद्यार्थी आधार कार्ड
    d. आवासीय प्रमाण पत्र
    e. बैंक पासबुक का पहला पेज
    f. स्नातक प्रमाणपत्र / उत्तीर्ण मार्कशीट
7. आवेदन भरने के दौरान ड्राफ्ट में भी Save किया जा सकता है।
8. आवेदन के प्रारूप में भी प्रिंट किया जा सकता है।
9. अंतिम रूप से Submit करने से पहले अपनी प्रविष्टियां पुनः जाँच कर लें, अंतिम Submit के बाद आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
10. अंतिम रूप से Submitted आवेदन की एक प्रति का प्रिंटआउट अपने पास रख सकते है ।
11. केवल अंतिम रूप से Submitted आवेदन पर विचार किया जाएगा।

Bihar Mukhyamantri Kanya Uttan Yojana Registration Form – (10+2)

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (माध्यमिक +२) के लिए विद्यार्थियों को केवल ऑनलाइन आवेदन ही देना है ! विद्यार्थियों को महाविद्यालय में किसी डॉक्यूमेंट या आवेदन देने की जरूरत नहीं है ! लाभार्थी के लिए रिजल्ट के समय अविवाहित होना अनिवार्य है तथा इसकी घोषणा केवल ऑनलाइन आवेदन में ही करना है !

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना : - मुख्यमंत्री बालिका (माध्यमिक +2) प्रोत्साहन योजना में आवेदन भरने से पहले महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. आवेदन करने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है।
2. फॉर्म भरने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है।
3. लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें।
4. अगर आपके महाविद्यालय का नाम सुची में नहीं है तो आप अपने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से संपर्क करके उसका नाम जोड़ने का आग्रह कर सकते है।
5. एक विद्यार्थी के द्वारा केवल एक आवेदन ही भरा जाएगा।
6. आवेदन भरने के लिए जरुरी दस्तावेज।
    a. फोटो का आकार 50 केबी से कम होना चाहिए। (निर्धारित आकार: 200 x 230 px)
    b. हस्ताक्षर का आकार 20 केबी से कम होना चाहिए। (निर्धारित आकार: 140 x 60 px)
    c. विद्यार्थी आधार कार्ड
    d. आवासीय प्रमाण पत्र
    e. बैंक पासबुक का पहला पेज
    f. स्नातक प्रमाणपत्र / उत्तीर्ण मार्कशीट
7. आवेदन भरने के दौरान ड्राफ्ट में भी Save किया जा सकता है।
8. आवेदन के प्रारूप में भी प्रिंट किया जा सकता है।
9. अंतिम रूप से Submit करने से पहले अपनी प्रविष्टियां पुनः जाँच कर लें, अंतिम Submit के बाद आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
10. अंतिम रूप से Submitted आवेदन की एक प्रति का प्रिंटआउट अपने पास रख सकते है ।
11. केवल अंतिम रूप से Submitted आवेदन पर विचार किया जाएगा।